**भारत सरकार**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या- 937**

**28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्‍न का उत्‍तर**

**पी॰एच॰सी॰ तथा सी॰एच॰सी॰ की आवश्यकता**

**937. श्री लाल सिंह वडोदियाः**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान जनसंख्या के अनुसार कितने पी॰एच॰सी॰ तथा सी॰एच॰सी॰ होने चाहिए;

(ख) आज की तारीख के अनुसार देश में कितने-कितने सी॰एच॰सी॰ तथा पी॰एच॰सी॰ उपलब्ध है; और

(ग) गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कितने-कितने सी॰एच॰सी॰ तथा पी॰एच॰सी॰ होने चाहिए तथा इन राज्यों में वर्तमान में कितने-कितने सी॰एच॰सी॰ तथा पी॰एच॰सी॰ है?

**उत्‍तर**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण राज्‍य मंत्री (श्री श्रीपाद यसो नाईक)**

(क) से (ग): ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य सांख्यिकी बुलेटिन (आरएचएस), 2014 के अनुसार गुजरात, मध्‍य प्रदेश तथा महाराष्‍ट्र सहित देश में अपेक्षित एवं उपलब्‍ध पीएचसी व सीएचसी की सख्‍ंया से संबंधित विवरण अनुलग्‍नक पर है।

**अनुलग्‍नक**

**भारत में (मार्च, 2014) के अनुसार) 2011 की जनसंख्‍या (अनंतिम) के अनुसार स्‍वास्‍थ्‍य अवसंरचना में कमी**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य / संघ राज्‍य क्षेत्र**  | **पीएचसी** | **सीएचसी** |
| **आर** | **पी** | **एस** | **कमी%** | **आर** | **पी** | **एस** | **कमी %** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1965 | 1709 | 256 | 13 | 491 | 292 | 199 | 41 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 48 | 117 | \* | \* | 12 | 52 | \* | \* |
| 3 | असम | 954 | 1014 | \* | \* | 238 | 151 | 87 | 37 |
| 4 | बिहार | 3099 | 1883 | 1216 | 39 | 774 | 70 | 704 | 91 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 774 | 783 | \* | \* | 193 | 157 | 36 | 19 |
| 6 | गोवा | 19 | 21 | \* | \* | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | गुजरात | 1290 | 1158 | 132 | 10 | 322 | 300 | 22 | 7 |
| 8 | हरियाणा | 550 | 454 | 96 | 17 | 137 | 109 | 28 | 20 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 212 | 489 | \* | \* | 53 | 78 | \* | \* |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 327 | 637 | \* | \* | 81 | 84 | \* | \* |
| 1 1 | झारखंड | 966 | 330 | 636 | 66 | 241 | 188 | 53 | 22 |
| 12 | कर्नाटक | 1306 | 2233 | \* | \* | 326 | 193 | 133 | 41 |
| 13 | केरल | 589 | 829 | \* | \* | 147 | 224 | \* | \* |
| 14 | मध्य प्रदेश | 1989 | 1157 | 832 | 42 | 497 | 334 | 163 | 33 |
| 15 | महाराष्ट्र | 2201 | 1811 | 390 | 18 | 550 | 360 | 190 | 35 |
| 16 | मणिपुर | 80 | 85 | \* | \* | 20 | 17 | 3 | 15 |
| 17 | मेघालय | 114 | 108 | 6 | 5 | 28 | 27 | 1 | 4 |
| 18 | मिजोरम | 25 | 57 | \* | \* | 6 | 9 | \* | \* |
| 19 | नगालैंड | 68 | 126 | \* | \* | 17 | 21 | \* | \* |
| 20 | ओडिशा | 1315 | 1305 | 10 | 1 | 328 | 377 | \* | \* |
| 21 | पंजाब | 578 | 427 | 151 | 26 | 144 | 150 | \* | \* |
| 22 | राजस्थान | 1861 | 2082 | \* | \* | 465 | 567 | \* | \* |
| 23 | सिक्किम | 18 | 24 | \* | \* | 4 | 2 | 2 | 50 |
| 24 | तमिलनाडु | 1251 | 1369 | \* | \* | 312 | 385 | \* | \* |
| 25 | त्रिपुरा | 109 | 84 | 25 | 23 | 27 | 18 | 9 | 33 |
| 26 | उत्तराखंड | 238 | 257 | \* | \* | 59 | 59 | 0 | 0 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 5194 | 3497 | 1697 | 33 | 1298 | 773 | 525 | 40 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 2153 | 909 | 1244 | 58 | 538 | 347 | 191 | 36 |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 8 | 22 | \* | \* | 2 | 4 | \* | \* |
| 30 | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | \* | \* |
| 31 | दादरा एवं नागर हवेली | 8 | 7 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 50 |
| 32 | दमन और दीव | 2 | 3 | \* | \* | 0 | 2 | \* | \* |
| 33 | दिल्ली | 13 | 5 | 8 | 62 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| 34 | लक्षद्वीप | 0 | 4 | \* | \* | 0 | 3 | \* | \* |
| 35 | पुडुचेरी | 13 | 24 | \* | \* | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  | **भारत** | **29,337** | **25,020** | **6700** | **23** | **7322** | **5363** | **2350** | **32** |
|  | **आर: अपेक्षित ;** पी: कार्यरत: **एस: कमी;****\*: अधिकता**  |  |  |  |  |  |  |  |  |